



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी  
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 2142 SEIAA/2022

Date: 25/11/22

प्रति,

सदस्य सचिव,

SEAC,

अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.)

विषय:-Case No. 7828/2020 Prior Environmental Clearance for Dolomite Mine in an area of 5.80 ha. (50000 tonne per annum) (Khasra No. 239, 240, 278/2), Village - Ambejhari, Tehsil - Tirodi, Dist. Balaghat (MP) by M//s Bhagchand Sancheti, Partner, Shri Gaurav Sancheti, Nehru Chowk, Waraseoni, Dist. - Balaghat, MP

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 643वीं बैठक दिनांक 06.10.2021 एवं 753 वीं बैठक दिनांक 27.10.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया :-


\* 464<sup>th</sup> SEAC meeting dated 03.10.2020. The case was scheduled for presentation but neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to make any commitment which may be desired by the committee during the deliberation. From the above it is clear that PP is not interested to continue with the project. Since the tenure of SEAC will be over on 09 October, 2020 and all such cases which are pending at SEAC will become category-I cases in the absence of SEAC. Thus case file is being sent to SEIAA for onward necessary action please.

As per above observation of SEAC, it has been decided to delist above cases mentioned in S. No. 81 to 132 on the condition that if PP intends to present the case in SEIAA, it will then be relisted for appraisal. Copy to PP and all concerned."

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 15.10.2022 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण Relist कर परीक्षण हेतु प्रेषित है।


  
(मुजीबुरहमान खान)  
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 2143 /SEIAA/2022

दिनांक - 25/11/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
5. वनमंडलाधिकारी, जिला बालाघाट (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला बालाघाट (म.प्र.)
10. Bhagchand Sancheti, Partner, Shri Gaurav Sancheti, Nehru Chowk, Waraseoni, Dist. - Balaghat, MP
11. संबंधित फाईल।

  
(आलोक नायक)  
प्रभारी अधिकारी